P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-5* August - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में गरीबी के बदलते आयाम एवं खाद्य सुरक्षा : एक अध्ययन

A Study of The Changing Dimensions of Poverty and Food Security In India

Paper Submission: 14/08/2020, Date of Acceptance: 28/08/2020, Date of Publication: 29/08/2020

राकेश कुमार
शोध–छात्र,
अर्थशास्त्र विभाग,
बी.आर.ए. बिहार
विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर,
बिहार, भारत

सारांश

गरीबी व्यक्ति के जीवन स्तर को दर्शाता है या इसे यूँ कह सकते हैं कि गरीबी एक बहुआयामी और जटिल मुद्दा है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, संसाधनों पर नियंत्रण का अभाव, शिक्षा और कार्यकुशलता की कमी, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, घर का अभाव, पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच न होना आदि शामिल है। समय–समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा गरीबी को परिभाषित किया जाता रहा है लेकिन गरीबी की सर्वमान्य परिभाषा की तलाश अभी भी जारी है। गरीबी की सटीक जानकारी एवं उसके आधार पर गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा कई कमिटियों का गठन किया गया। सर्वप्रथम 1961 में योजना आयोग प्रति व्यक्ति उपभोग को गरीबी रेखा माना। 1973–74 के कीमत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता को ध्यान में रखा गया। 1993–94 में योजना आयोग ने डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समूह बनाया और उसने प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग–अलग गरीबी रेखा निर्धारित किया। इसके अलावे योजना आयोग के सदस्य अर्जुन सेन गुप्ता कमिटी द्वारा 2007 में, जून 2009 में एन.सी. सक्सेना कमिटी, 2008 में सुरेश तेन्दुलकर समिति एवं अप्रैल 2011 ने अभिजित सेन समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया। 2013 रघुराम राजन कमिटी ने गरीबी के विषय में चर्चा किया है। जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2005–06 में भारत में करीब 64 करोड़ लोग (55 प्रतिशत) गरीबी में थे। यह संख्या घटकर 2015–16 में 36.95 करोड़ (27.9 प्रतिशत) पर आ गई है। सरकार द्वारा गरीबी उन्मुलन के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई है जिसमें खाद्य सुरक्षा मुख्य है। सरकार खाद्य सुरक्षा के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

Poverty refers to the standard of living of a person or it can be said that poverty is a multifaceted and complex issue under which a person fulfills his basic needs, lack of control over resources, lack of education and efficiency, poor health or malnutrition, Lack of home, lack of access to drinking water and sanitation etc. Poverty has been defined by various scholars from time to time, but the search for a universal definition of poverty is still ongoing. Various committees were set up by various governments to eradicate poverty based on accurate knowledge of poverty. The Planning Commission first considered per capita consumption in 1961 as the poverty line. Based on the price of 1973-74, 2400 calories per person per day availability in rural areas was taken into consideration. In 1993-94, the Planning Commission submitted the D.T. A group headed by Lakdawala formed a different poverty line based on the price level in each state. According to a report published by the United Nations in July 2019, about 64 crore people (55 percent) in India were in poverty in 2005-06. This number has come down to 36.95 crore (27.9 percent) in 2015-16. The government has implemented various schemes for poverty alleviation in which food security is the main one. The government is trying to improve the standard of living of the poor through the public distribution system under food security.

मुख्य शब्द : गरीबी, प्रस्ताव, बीपीएल, खाद्य सुरक्षा, जनवितरण प्रणाली।
Poverty, Proposals, BPL, Food Security, Public Distribution System.

प्रस्तावना

भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी के साये में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इनके जीवन स्तर में सुधार के लिए तरह–तरह के प्रयास भी किये जा रहे हैं। इस संबंध में कृष्ण कुमार कहते हैं कि भारत में लोग

व्यापक रूप से एकमत हैं कि निम्नांकित बातों का समावेश होना चाहिए : 1. पर्याप्त पोषण वाला आहार, वस्त्र तथा आवास एवं अन्य अत्यावश्यक वस्तुएँ तथा 2. न्यूनतम स्तर की शिक्षा, हेल्थकेयर, स्वच्छ जल की आपूर्ति एवं साफ–सुथरा परिवेश। दोनों ही श्रेणियों के अंतर्गत विशिष्ट वांछित तत्वों के बारे में विधि–विधान निर्धारित हैं पहली श्रेणी के तत्वों तक पहुंच हासिल कर सकने की लोगों की क्षमता 'गरीबी रेखा' को परिभाषित करती है। किसी देश में कितनी गरीबी व्याप्त है इसे इस बात से मापा जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं तथा कुल जनसंख्या में उनका अनुपात क्या है, जिसे 'गरीबी अनुपात' कहते हैं।[1] गरीबी रेखा का निर्धारण कार्य और क्षमता की दृष्टि से स्वीकार्य जीवन–स्तर सुनिश्चित करने के लिए वांछित व्यय के आधार पर किया जाता है। चूंकि भोजन हमारी सभी बुनियादी आवश्यकताओं में सबसे प्रमुख है और जीवन तथा कार्य के लिए इससे आवश्यक पोषण प्राप्त होता है, अतः गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी ग्रहण करने की दृष्टि से न्यूनतम राष्ट्रीय मानक के आधार पर किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस आलेख का उद्देश्य भारत में गरीबी के बदलते आयाम के तहत विभिन्न आयोगों, समितियों के प्रस्तावों, खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी के कारणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

विषय विस्तार

भारत में गरीबी निर्धारण की माप हेतु गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास पहली बार 1961 में किया गया। 1960–61 की कीमत के आधार पर 240 रुपये वार्षिक या गाँव में 16 रुपया एवं शहर में 20 रुपया प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति उपभोग को गरीबी रेखा माना गया। आगे चलकर योजना आयोग ने उपभोग एवं आय को आधार बनाया। इस प्रकार 1973–74 के कीमत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति दैनिक 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम प्रति व्यक्ति प्रति दिन उर्जा ग्रहण की जाती हो उसे गरीब माना गया। 1993–94 में योजना आयोग के डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया और उसने प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग–अलग गरीबी रेखा निर्धारित किया। इसने अपने अध्ययन में यह पाया कि 1993–94 के आधार वर्ष के आधार पर 1997 में 35.7 प्रतिशत गरीबी थी। हाल के वर्षों में गरीबी के अकाल से संबंधित कई समितियों का गठन किया गया है। योजना आयोग के सदस्य अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने 2007 में बताया कि 77 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो प्रतिदिन 20 रुपया से कम पर गुजारा भत्ता करते हैं। ए.सी. सक्सेना समिति ने जून 2009 में गरीबी निर्धारण के लिए पाँच मानक बनाने का सुझाव दिया जिसमें– 1. जाति, 2. जीविकोपार्जन का स्रोत, 3. आय का स्रोत 3. परिवार का अधिकतम शैक्षणिक स्तर, 4. लम्बी बीमारी एवं 5. परिवार के मुखिया का स्त्री या वृद्ध व्यक्ति होना। इस प्रकार इस समिति ने 50 प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना है।

तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट

सुरेश तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2009 के आखिर में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति को गरीबी रेखा और इसके नीचे रहने वाली आबादी के अनुपात की संगणना करने का आदेश दिया गया था और कहा गया था कि जरुरी होने पर समिति गरीबी–रेखा का पुनःनिर्धारण करे। प्रति व्यक्ति कैलोरी गणना के ऊपरी बिंदु को खत्म करके समिति ने नियमों को फिर से नियत किया। उसने मूल्य सूचियों को आदर्श रूप दिया और साथ ही व्यक्ति के उपभोग के दायरे में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं किराया तथा परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय को शामिल करने के लिए मानदंड का विस्तार किया तथा इसने ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए एक ही मानदंड का प्रयोग किया जो कि पहली बार हुआ। इस नए मानदंड के आधार पर, समूह ने पूर्व में आकलित गरीबी संबंधी आंकड़ों का पुनरीक्षण किया। तदनुसार, संपूर्ण भारत स्तर पर 1993–94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 50.1 प्रतिशत गरीबी थी, शहरी क्षेत्रों में 31.8 प्रतिशत तथा पूरे देश में 45.3 प्रतिशत जबकि 1993–94 के आधिकारिक अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 37.2 प्रतिशत गरीबी थी, शहरी क्षेत्रों में 32.6 प्रतिशत तथा पूरे देश में 36 प्रतिशत। इसी तरह, 2004–05 के आधिकारिक अनुमान अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में 28.3 प्रतिशत, शहरी क्षेत्र में 25.7 प्रतिशत तथा समग्र देश में 27.5 प्रतिशत के मुकाबले गरीबी संबंधी नए अनुमान ग्रामीण, शहरी एवं पूरे देश के लिए क्रमशः 41.8 प्रतिशत, 25.7 प्रतिशत तथा 37.2 प्रतिशत हैं।[2]

पहली बार गरीबी के कारण, उसका उन्मूलन एवं मापन के तरीकों पर 2007 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। दूसरी बार अप्रैल 2010 में पटना में इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में जाने माने देशी एवं विदेशी अर्थशास्त्रियों, नीतिकारों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में प्रो0 सुरेश तेंदुलकर, ज्या ब्रेज, अभिजीत सेन, ब्राजील के प्रो. रिकॉडो, अब्रोमोबाम, जेनेवा से डॉ. अजीत वेरार बवार्ड और चीन के प्रो. गुआबाआबू सहित कई अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया। सभी ने गरीबी के कारण, माप एवं उन्मूलन पर एक सामान्य हल की बात की। उद्घाटन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएल की पहचान के लिए चुनाव अयोग के तर्ज पर एक स्वतंत्र आयोग का गठन हो। अप्रैल 2011 में अभिजित सेन समिति ने माना कि 32 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है।

सरकार के स्तर पर बात करे तो पता चलता है कि राज्यों के बीच केन्द्रीय करो के बंटवारे के लिए कुछ परम्परागत कसौटियाँ अपनायी जाती है। इन कसौटियों के आधार पर केन्द्रीय वित्त आयोग राज्यों के बीच धन का बंटवारा इस प्रकार करते हैं कि देश के हर नागरिकों को सेवायें उपलब्ध करायी जा सके। गरीब राज्यों के पास राजस्व उगाही के कम संसाधन होते हैं इसलिए उनके पास खर्च करने की सीमा होती है एवं ऐसे राज्य अपने नागरिकों को समृद्ध राज्य की तरह नागरिकों की सेवाएँ नहीं दे पाते। 2013 में रघुराम राजन समिति ने इसी को ध्यान में रखते हुए कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स का सूत्र लाया था। इसके तहत पहले की असमानता को दूर करने

के लिए पिछड़ेपन के आधार पर केन्द्रीय धन देने पर जोड़ दिया था।[3] रघुराम राजन समिति ने राज्यों को जरुरतों के आधार पर फंड मुहैया कराने के लिए 10 मानक तय किए हैं। रिपोर्ट में राज्यो की जरुरतों को विकास के सूचकांक के आधार पर तय किया गया। ये मानक है–

1. प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय
2. शिक्षा
3. स्वास्थ्य
4. प्रति परिवार घरेलू उपकरण
5. गरीबी दर
6. महिला साक्षरता
7. एस.सी., एस.टी आबादी का प्रतिशत
8. शहरीकरण दर
9. वित्तीय समग्रता
10. सम्पर्क.[4]

पूरे देश में गरीबी का समान वितरण नहीं है। प्रतिशत की दृष्टि से कहें तो सभी राज्यों में संदिग्ध रूप से ओड़िसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा (46.4 प्रतिशत) है। इसके बाद बिहार (42 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (41 प्रतिशत), उत्तराखंड (39.7 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (32.7 प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र (30.8 प्रतिशत) का स्थान आता है। लेकिन यदि केवल संख्यात्मक दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे आगे है जहाँ करीब 6.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। दूसरा स्थान बिहार का है जहां करीब 5.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहकर गुजर–बसर करते हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश (3.3 करोड़), महाराष्ट्र (3.2 करोड़), पश्चिम बंगाल (2.2 करोड़), ओड़िसा (1.8 करोड़) और आंध्र प्रदेश (1.2 करोड़)। देश के कुल गरीबों की 51 प्रतिशत जनसंख्या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहती है। यदि इस सूची में असम, ओड़िसा, पश्चिम बंगाल तथा कुछ केंद्रशासित प्रदेशों को भी जोड़ दें तो ये सारे राज्य मिलकर देश के 70 प्रतिशत गरीबों का प्रतिनिधित्व करेंगे।[5]

जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गरीबी का आकलन से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें 101 देशों में 1.3 अरब लोगों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का एमपीआई मूल्य 2005–06 में 0.283 था जो 2015–16 में 0.123 पर आ गया अर्थात् 2005–06 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग (55 प्रतिशत) गरीबी में थे केवल यह संख्या घटकर 2015–16 से 36.9 करोड़ (27.9 प्रतिशत) पर आ गई है, इसमें सबसे अधिक सुधार झारखण्ड में देखी जा सकती है, जहाँ विभिन्न स्तरों पर गरीबी 2005–06 में 74.9 प्रतिशत से कम होकर 2015–16 में 46.5 प्रतिशत पर आ गयी।

भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कई तरह के योजनाएँ बनाई हैं जिनमें से एक खाद्य सुरक्षा के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सामान्य भाषा में इसे उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली या गरीबों को रियायती दर पर राशन वितरित करती है। इस व्यवस्था की शुरुआत 1940 में बंगाल में गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए किया गया था। इस व्यवस्था में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर गेहूँ, चावल, मिट्टी तेल, चीनी व अन्य आवश्यक वस्तुएँ बेची जाती है। एक समय ऐसा भी था जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिकांश जगहों पर चीनी एवं मिट्टी तेल रियायती मूल्य पर नगद दिया जाता था, वहीं कुछ समय बाद सिर्फ मिट्टी तेल एवं अन्य खाद्य वस्तुएँ दी जाने लगी। वर्तमान की बात की जाए तो खाद्य वस्तुओं का वितरण प्रत्यक्ष रूप से लाभूकों को दिया जा रहा है। वहीं सब्सिडी की राशि सीधा लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभूकों के बैंक खाते में भेजी जाती है जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्पन्न भ्रष्टाचार में कमी लाने में काफी मदद मिली है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में लाया गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया गया है जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है।[6]

गरीबी के आधारभूत कारण निम्नांकित माने जा सकते हैं:

अल्प विकास एवं बढ़ती बेरोजगारी

भारतीय आर्थिक स्थिति के दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं– अभी हाल के दिनों तक आर्थिक प्रगति की मंद गति तथा रोजगार में कम लोच का होना। सबसे निर्णायक कारक यह रहा है कि कृषि सेक्टर जिसमें पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा संख्या में श्रमिकों की जरुरत रही, उसने रोजगार के क्षेत्र में नगण्य विकास दर्शाया है। बेरोजगारी के कारण उत्पादन कम होता है और इसलिए आय भी कम होती है और कर्ज बढ़ता है। बेरोजगारी और कर्ज की समस्या गरीबी को और अधिक उग्र बनाती जा रही है।

कमजोर विकास नीति

हमारी योजनाओं, खासतौर पर पिछले छह दशकों में कृषि क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाओं, में गरीबी उन्मूलन के लिए गंभीर विकास कार्यनीति नहीं बनाई गई है। वास्तविक अर्थों में, विकास कार्यनीति की मुख्य कमजोरी यह है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले छोटे–छोटे खेतिहरों की विशाल संख्या के बजाय यह बड़े उत्पादकों से ज्यादा वास्ता रखती है। इसके निम्नांकित परिणाम हुए हैं[7]:

1. राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, भूमि, श्रम और पूंजी का उपयोग क्षमता से बहुत कम किया गया है।
2. आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनपुट के लिए जनता के धन पर बहुत ज्यादा निर्भर होने के कारण इस पर काफी फालतू खर्च आता है तथा पारंपरिक, स्थानीय एवं स्व–सृजित संसाधनों के उपयोग की बिल्कुल उपेक्षा कर दी जाती है।
3. यह परजीवी स्वभाव का है क्योंकि आधुनिक कृषि से सृजित अतिरिक्त उत्पादन पूंजी एवं गैर–फॉर्म सेक्टर के निर्माण में पर्याप्त योगदान नहीं दे पाते, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष उपभोग की दिशा में लगा दिया जाता है।

आय के वितरण में असमानता

भारत में गरीबी का एक अन्य प्रमुख कारण है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अर्थतंत्र में घोर असमानताओं का होना। इन असमानताओं का कारण है परिसंपत्तियों या

'ऍसेट्स' के स्वामित्व में अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में इस 'ऍसेट्स' से तात्पर्य है भूमि और शहरों में भौतिक संपदा। उत्पादक 'ऍसेट्स' के पुनर्वितरण के लिए किये जा रहे प्रयास निम्नांकित कारणों से सीमित हो जातेः

1. प्राकृतिक संसाधनों, जिनमें भूमि भी शामिल है, पर पड़ने वाला जनसांख्यिक दबाव ऍसेट्स के स्थानांतरण के कार्य को परिसीमित कर देता है।
2. लोकतांत्रिक राजनीतिक वातावरण के कारण उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में कोई आमूलचूल परिवर्तन किया जाना संभव नहीं हो सकता।

सामान्य संपदा संसाधनों का निजीकरण

कुछ विद्वानों में संवितरण के एक अन्य परिदृश्य की ओर हमारा ध्यान खींचा है, अर्थात् सामान्य संपदा संसाधन जो कि ग्रामीण गरीबों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीपीआर का निजीकरण, कृषि का गहनीकरण, पर्यावरणीय क्षरण तथा आर्थिक कार्यकलापों का व्यवसायीकरण इत्यादि ने कमजोर वर्ग के लोगों को एकदम हाशिये पर ला दिया है। इससे महिलाओं तथा सीमांत वर्ग के लोगों की स्थिति पर सीधा असर पड़ता है तथा उन्हें और अधिक संवेदनशील बना देता है। उनके सीमित संसाधन जोखिम से जूझने और उसे कम करने में उनकी कार्यनीति को प्रभावित करते हैं। साथ ही, निजी अथवा सार्वजनिक बीमा प्रणालियों तक उनकी पहुंच बहुत ही सीमित होती है।[8]

स्वास्थ्य एवं सामाजिक कारक

हेल्थकेयर की अच्छी स्थिति का न होना, पारंपरिक रूप से सामाजिक कार्यों पर होने वाले फिजूलखर्च एवं उच्च ब्याज पर निजी उपभोग क्रेडिट इत्यादि लोगों को गरीबी की ओर धकेलने वाले कुछ अन्य कारक हैं।

पर्यावरणीय क्षरण एवं पेड़ों का विनष्ट होना

पर्यावरणीय क्षरण, पेड़ों का विनाश तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन में हमारी असफलता इत्यादि गरीबी के कुछ प्रमुख कारण हैं– खासतौर पर सूखी खेती वाले क्षेत्रों में। जनसंख्या विकास एवं गरीबी के अलावा, उच्च आय वाले वर्ग से (जिनमें शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं) ईंधन, लकड़ी, मांस एवं ऊन इत्यादि की मांग पर्यावरणीय क्षरण का एक प्रमुख कारण रहा है।[9]

हाल में हुए तकनीकी परिवर्तन

व्यापक कंप्यूटरीकरण एवं इसके फलस्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण, 1980 के बाद के दशक से महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांति हुई हैं। इस परिवर्तन के कारण कॉलेज शिक्षित एवं कार्यकुशल लोंगों का महत्व बढ़ा है जबकि अल्पकुशल एवं अकुशल कारीगरों की मांग घटी है जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया है।

गरीबों में जनसंख्या का तीव्र विकास

भारत में, खासतौर पर गरीब समुदायों के बीच, जनसंख्या की उच्च वृद्धि–दर देश में बढ़ती गरीबी की समस्या के लिए जिम्मेदार है। गरीबों के बीच जनसंख्या दर तेज होने के अनेक कारण हैं, जैसे–निरक्षरता, पारंपरिक दृष्टिकोण, परिवार नियोजन का अभाव, बेटा पाने की चाहत, इत्यादि। स्पष्ट है कि बड़े परिवारों और कम आय के कारण वे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हैं।

मुद्रास्फीति के दबाव

मूल्यों में अनवरत, वृद्धि, विशेषकर अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने, से गरीबों की मुसीबतें बढ़ी हैं। मूल्यों में हुई इस बेतहाशा बढ़ोत्तरी के कारण निश्चित एवं कम आमदनी वाले लोगों की वास्तविक आय पर असर पड़ा है। इससे उनकी क्रय–शक्ति घटी है और इसके फलस्वरूप उनके जीवन–स्तर में कमी आई है।

पूंजी की कमी

पूंजी का निर्माण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जिससे आर्थिक विकास हो सकता है और गरीबी में कमी आ सकती है। भारत में, पूंजी का अभाव है। इससे कम उत्पादन क्षमता प्रतिफलित होती है और गरीबी का जन्म होता है। वैश्वीकरण ने कई घर–परिवारों को गरीबी–रेखा से नीचे धकेल दिया है, क्योंकि कुछ अति महत्वपूर्ण तयशुदा फसलों का उत्पादन कम हो गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लोकप्रिय होने के बाद से, कृषि भूमि का उपयोग निर्यात–उन्मुखी फसलों के उत्पादन के लिए किया जाने लगा है। साथ ही उदारीकरण के कारण छोटे–छोटे किसान वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने पर मजबूर हुए हैं जहां कृषि संबंधी उत्पादों की कीमत बहुत कम है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः गरीब के बदलते आयम से स्पष्ट है कि इसका कोई एक सर्वमान्य विचार नहीं है। अर्थात् गरीबी की परिभाषा में विभिन्न विद्वानों में ही नहीं बल्कि विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों से स्पष्ट होता है। फिर भी बुद्धिजीवियों द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता रहा। योजना आयोग गरीबी रेखा के नीचे वैसे लोगों को गरीब माना है जो निर्धारित कैलोरी मानक से कम कैलोरी लेते हैं। विभिन्न कमिटियों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन के स्रोत आदि व्यक्ति के न्यूनतम जीवन स्तर के लिए अति आवश्यक है। इस आधार पर सरकार समय–समय पर गरीबी उन्मूलन की योजनाएँ बनाते रहते हैं। यूँ तो गरीबी रेखा के मापन का पैमाना विभिन्न देशों में विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक दशा पर निर्भर करता है लेकिन भारत में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी आय का असमान वितरण, तकनीकी परिवर्तन, कमजोर विकास नीति मुद्रास्फीति एवं पूँजी की कमी आदि को गरीबी के लिए जिम्मेवार माना गया है। आवश्यकता इस बात की है वैश्वीकरण के इस युग में एक तरफ व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है वहीं दूसरी तरफ लोगों में शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। परिणाम यह निकल कर सामने आ रहा है कि समाज में अमीरी गरीबी का फर्क बढ़ता ही जा रहा है। इसे दूर करने के लिए समाज एवं सरकार को गरीब फ्रेंडली होना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *सिंह, कृष्ण कुमार, ''गरीबी के चक्र में ग्रामीण गरीब'', कुरुक्षेत्र, वर्ष–46, अंक–10, अगस्त 2001.*

2. उपरोक्त.
3. e-paper.prabhatkhabar.com
4. उपरोक्त.
5. सिंह रहीस, ''गरीबी निर्धारण का अर्थशास्त्र'', योजना, वर्ष–52, अंक–11, 2008.
6. http//:hi.m.wikipaedia.org
7. सुमन, अनुपम कुमार, ''गरीब भारत की भावी चुनौतियॉं'' कुरुक्षेत्र, वर्ष–46, दिसम्बर 2011
8. उपरोक्त
9. प्रधान, वसंत के. एण्ड एम.आर सलूजा, 'पोवर्टी स्टडी इन इंडिया : एक रिव्यू'', एसीएईआर वर्किंग पेपर, नवम्बर 1998.